न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 532/2022 निर्णय दिनांक :–08.07.2024

उनवानी दावा :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देवली –प्रार्थी–

बनाम

1. पूरण सिंह पुत्र रतिराम निवासी रतनपुरा (सांवतगढ) तहसील देवली जिला (टोंक)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

पेरोकार सरकार **श्री पूरण सिंह**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रतनपुरा (सावंतगढ) तहसील देवली के खसरा नं. 1945 रकबा 1.25 पूरण सिंह पुत्र रतिराम मीणा के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदारी भूमि में हरे नीम के 32 वृक्ष थे जिन्हे बिना सक्षम स्वीकृति के अप्रार्थी नं. 1 ने 32 नीम के पेडों को जड से काटा गया। जो दण्डनीय है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के हरे वृक्षों को काटना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के विपरीत कार्य किया है, जो दण्डनीय है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा उक्त पेडों को काटकर अपनी खातेदारी में डाल रखे है उन्हें पटवारी हल्का सांवतगढ द्वारा लकडीया नहीं उठाने हेतु पाबंद किया गया व लकडीयों को अपनी सुपुर्दगी में लिया गया। उक्त लकडीयों का वजन लगभग 40 क्विंटल के बराबर हैं। जिनकी राशि अप्रर्थीगण से वसूलनी हैं। प्रार्थना पत्र तेनानजी के क्षेत्राधिकार में है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थीगण से उक्त पेडो की कीमत व जुर्माना वसूला जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जाये। अन्य दादरसी माननीय न्यायालय उचित समझे दिलवायी जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी स्वयं ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– श्रीमान द्वारा दिया गया नोटिस गलत है। ख. नं. 1945 20 पेड़ नीम के बीच में थे जिस के कारण प्रार्थी को खेती करने में काफी परेशानी आ भि। प्रार्थी के खेत के पास में ही चारागाह भूमि है जिस पर अशोक मीणा पुत्र हरना मीणा का कब्जा है। उसके द्वारा भी नीम के पेड़ निकाले गये थे। प्रार्थी के खेत में 20 ही नीम के थे ओर जिनको ही हटाया गया है। ख. नं. 1945 का प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी के 32 पेड़ नीम के नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

तहसीलदार देवली ने अपनी बहस में प्रार्थना के तथ्यो को ही दोहराया ।

अप्रार्थी दोराने बहस अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली द्वारा पेश वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.212 के अनुसार 32 पेड़ो को तहसीलदार द्वारा कब्जेराज लिया गया था।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के हरे पेड़ो को काटा गया है जो दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः एक पेड़ की कीमत 200/–रूपये मानते हुए 32 पेड़ो की कुल पेनल्टी 6400/–रूपये अप्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार राजकोष मे जमा करावे। कब्जेराज लकडीयों को नियमानुसार निलामी कर, निलामी राशि को राजकोष में जमा करावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार देवली को प्रेषित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 08.07.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner